न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–18/2016

1. कर्मजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख उम्र 48 वर्ष निवासी 11 पी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. न्यूदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह जाति जटसिख उम्र 26 वर्ष निवासी 11 पी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———वादीगण

बनाम्

1. मेजर सिंह पुत्र श्री मेवासिंह जाति जटसिख उम्र 45 वर्ष निवासी 11 पी पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. रक्षा देवी पुत्री रक्षपाल सिंह जाति राजपूत निवासी खजिया तहसील नुरपूर जिला कांगड़ा (हि.प्र.) हाल चक 11 पी तहसील अनूपगढ़
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

————प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्त. अधिनियम। बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म।

::निर्णय::

दिनांक–28.01.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि कृषि भूमि वाके चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 26 पत्थर संख्या 160/10 का किला नं. 1ता25 का कुल 6.070 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1वा2 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार संयुक्त खाता की कृषि भूमि में वादी संख्या 1 कर्मजीत कौर का 1.496 हैक्टर हिस्सा है तथा वादी संख्या 2 न्यूदीप सिंह का 1.496 हैक्टर हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 मेजर सिंह के नाम 2.991 हैक्टर एंव प्रतिवादी संख्या 2 रक्षा देवी के नाम से 0.087 हैक्टर हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इसी अनुसार व अपने हिस्सा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अधिकार एवं अधिपत्य चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित पारस्परिक तौर पर वाहमी बंटवारा करने के उपरान्त वादीगण अपने हिस्सा के उक्त किलाजात की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कई बार कहा कि अपने सभी सहमत होकर तहसील में चलकर अपने अपने हिस्सा अनुसार व कब्जा अनुसार एंव पारस्परिक वाहमी बंटवारा अनु[illegible] ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह से काश्त [illegible] सके [illegible] उसका उपयोग उपभोग कर सके। वे हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन [illegible] करते रहे एवं आखिकार दावा से अर्सा तीन रोज पूर्व [illegible] प्रतिवादी संख्या 01वा2 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मु[illegible]त वाद पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.02.21 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद

नोटिस तामिल के उपस्थित नही आया। प्रतिवादी संख्या 2 के नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए जिसके उपरान्त वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 02 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु वाद पत्रों के लिए स्थिरीकरण के लिए सम्मन (आदेश 5 नियम 1 और जाब्ता दिवानी परिशिष्ट–ख संख्या 2) के तहत समाचार पत्र में दिनांक 06/09/2019 को प्रकाशन करवाया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को न्यायहित में न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु प्रतिवादी संख्या 01वा2 असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–01 सहमत है व मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। पत्रावली व संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वाद पत्र में दर्ज कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण नाम से संयुक्त खाता राजस्व रिकार्ड में है। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी पक्षकार द्वारा आपति दर्ज नहीं करवायी गयी। पत्रावली में विवादित बिन्दू नही है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही होने की स्थिति में वादीगण का यह वाद पत्र डिक्री किये जाने एवं स्वीकार किये जाने एवं बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित होने योग्य है।

::आदेश::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–1ता2 के मध्य तहसीलदार, अनूपगढ़ से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव अनुसार किला विभाजन किया जाकर चक 11 पी के मुरब्बा नं.–26 पत्थर नं.–160/10 की कुल कृषि भूमि में से वादीगण को किला नं.–1ता2 सालम, किला नं.–33/0.126 हैक्टर, किला नं.–8/0.127 हैक्टर, किला नं.–9ता12/1.012 हैक्टर, किला नं.–13/0.127 हैक्टर, किला नं.–18/0.083 हैक्टर किला नं.–19ता20/0.506 हैक्टर, किला नं.–21/0.202 हैक्टर, किला नं.–22/0.202 हैक्टर, किला नं.–23/0.095 हैक्टर कुल 2.986 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–01 को किला नं–3/0.127 हैक्टर, किला नं.–4ता7/1.012 हैक्टर, किला नं.–8/0.126 हैक्टर, किला नं.–13/0.126 हैक्टर, किला नं.–14ता17/1.012 हैक्टर, किला नं.–18/0.083 हैक्टर, किला नं.–23/0.095 हैक्टर, किला नं.–24/0.202 हैक्टर, किला नं.–25/0.202 हैक्टर कुल 2.985 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या–02 को किला नं. –18/0.087 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन किये जाने एवं किला नं.–23 में 0.012 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 03 को आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार निर्णय में वर्णित विभाजन मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन कर विभाजन व गैर–मुमकिन रास्ता [illegible] रिकार्ड में अंकन करे। अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.02.21 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

उनवान

ब–इजलास **श्री प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)**

कर्मजीत कौर वगैरह बनाम् मेजर सिंह वगैरह

दावा बाबत्–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकद्मा नं.–18/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1ता2 के मध्य प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार अनूपगढ़ से प्राप्त चक 11 पी का मु.नं. 26 पत्थर नं0 160/10 की 6.070 हैक्टर कमाण्ड मय खाला रकबा का खाता विभाजन प्रस्ताव को मध्यनजर रखते हुए निम्नलिखित प्रकार से अंतिम डिक्री जारी की जाकर निर्णित किया जाता है–

क्र.सं.	नाम खातेदार	मु.नं.	किला नम्बर	रकबा कुल	विशेष विवरण
1	कर्मजीत कौर पत्नि जसवीर सिंह 1.496 हैक्टर व न्यूदीप सिंह पुत्र जसवीर सिंह 1.496 हैक्टर जाति जटसिख सा. पतरोड़ा खातेदार–	160/10 [26]	1ता2/0.506 हैक्टर 3/0.126 हैक्टर 8/0.127 हैक्टर 9ता12/1.012 हैक्टर 13/0.127 हैक्टर 18/0.083 हैक्टर 19ता20/0.506 हैक्टर 21/0.202 हैक्टर 22/0.202 हैक्टर 23/0.095 हैक्टर	2.986 हैक्टर	–
2	मेजर सिंह पुत्र मेवा सिंह 2.991 हैक्टर जाति जटसिख सा. पतरोड़ा खातेदार–	160/10 [26]	3/0.127 हैक्टर 4ता7/1.012 हैक्टर, 8/0.126 हैक्टर 13/0.126 हैक्टर 14ता17/1.012 हैक्टर 18/0.083 हैक्टर 23/0.095 हैक्टर 24/0.202 हैक्टर 25/0.202 हैक्टर	2.985 हैक्टर	–
3	रक्षा देवी पुत्री रक्षपाल सिंह 0.087 हैक्टर जाति राजपूत सा. खज्जिया तह. नुरपुर जिला कांगड़ा खातेदार	160/10 [26]	18/0.087 हैक्टर	0.087 हैक्टर	–
4	रास्ता गैर–मुमकिन	160/10 [26]	23/0.012 हैक्टर	0.012 हैक्टर	–

तदनानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

यह डिक्री आज तारीख–28/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Ta
Date: 2022.02.21 16:15:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)

उपखण्ड अधिकारी

अनूपगढ़